बिहार सरकार
उद्योग विभाग
संकल्प

पुलिस अधीक्षक, कैमूर के पत्रांक--10427 दिनांक–08.11.2022 द्वारा जिला पदाधिकारी, कैमूर को प्रेषित पत्रानुसार श्री श्यामू राम, तत्कालीन प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कैमूर(भभुआ) को शराब सेवन करने की प्राप्त सूचना के आलोक में गिरफ्तार किया गया और भभुआ थाना द्वारा अप्रा0सं0–99/22, दिनांक 07.11.2022 धारा 37(1) बिहार मद्यनिषेध अधिनियम–2022 के अन्तर्गत कांड दर्ज करते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष उत्पाद न्यायालय, कैमूर(भभुआ) में उपस्थापित किया गया। तदनुसार जिला पदाधिकारी, कैमूर(भभुआ) द्वारा अपने पत्रांक–1622 दिनांक–08.11.2022 द्वारा उद्योग विभाग को पत्र प्रेषित किया गया जिसमें श्री श्यामू राम, तत्कालीन प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कैमूर(भभुआ) को शराब सेवन में संलग्न रहने के आरोप में उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।

2. उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–4971 दिनांक–08.11.2022 द्वारा श्री राम को निलंबित किया गया तथा विभागीय पत्रांक–5819 दिनांक–14.12.2022 द्वारा उनके विरूद्ध सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आरोप पत्र गठित किया गया। तदोपरांत उन्हें बचाव का लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया, जिसका जवाब उनके द्वारा नहीं दिया गया। पुनः उनके द्वारा पत्नी अस्वस्थ होने के कारण बचाव का लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने हेतु 15 दिनों का अतिरिक्त समय की मांग की गयी। तदआलोक में विभागीय पत्रांक–42 दिनांक–03.01.2023 द्वारा दिनांक–15.01.2023 के पूर्व तक बचाव का लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने हेतु निदेश दिया गया। परन्तु उन्हें समुचित अवसर दिये जाने पर भी बचाव का लिखित अभिकथन प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदआलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक–647 दिनांक–31.01.2023 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी–सह–उप सचिव, उद्योग विभाग, पटना के पत्रांक–2050 दिनांक–27.03.2023 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा यह मंतव्य अंकित किया गया है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा शराब सेवन किया गया था।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक–2840 दिनांक–15.05.2023 द्वारा श्री श्यामू राम, तत्कालीन प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कैमूर (निलंबित), मुख्यालय–उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना से कारण पृच्छा की गयी।

5. उक्त के आलोक में आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिनांक–29.05.2023 को द्वितीय कारण पृच्छा जवाब समर्पित किया गया।

6. श्री श्यामू राम द्वारा समर्पित कारण पृच्छा एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा कारण पृच्छा को असंतोषजनक पाते हुए अस्वीकृत करते हुए आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध "सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति"(Compulsory Retirement) का वृहद दण्ड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।

7. श्री श्यामू राम को "सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति" (Compulsory Retirement) करने के प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक–6103 दिनांक–18.10.2023 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श/सहमति प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित की गयी।

8. इसी क्रम में श्री श्यामू राम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–4606/2023 दायर किया गया जिसमें विभागीय संकल्प सं0–4971 दिनांक 08.11.2022, ज्ञापांक–5410 दिनांक 29.11.2022, ज्ञापांक–5819 दिनांक 14.12.2022, ज्ञापांक–647 दिनांक 31.01.2023 एवं ज्ञापांक–1278 दिनांक 24.02.2023 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

उक्त दायर वाद में दिनांक 05.12.2023 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश में श्री राम द्वारा किये गये अनुरोध पर अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से विचार करने का निदेश दिया गया।

9. श्री राम के विरूद्ध अधिरोपित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–4675 दिनांक 19.02.2024 द्वारा अभिमत दिया गया कि "**आरोप की तुलना में दंड अधिक होने के कारण समानुपातिक नहीं है**"।

10. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के उक्त परामर्श एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में आरोपित पदाधिकारी श्री राम द्वारा दिये गये पुनर्विचार अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री राम द्वारा शराब का सेवन किये जाने का आरोप प्रमाणित पाया गया तथा विशेष उत्पाद न्यायालय, कैमूर(भभुआ) के केस सं0–99/22 दिनांक 07.11.2022 द्वारा बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2018 की धारा–37 के अधीन 5000/– (पाँच हजार) रूपये की राशि दंड स्वरूप जमा किया गया।

11. बिहार राज्य में मद्यनिषेध नीति लागू है। ऐसे में श्री राम द्वारा स्वयं शराब का सेवन किया जाना एक जघन्य अपराध है। उनके इस आचरण से विभाग की छवि धूमिल हुई है। श्री राम का आचरण अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता के साथ–साथ मद्यनिषेध नीति एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम– 3(1) का उल्लघंन है।

अतः सम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री श्यामू राम, तत्कालीन प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कैमूर सम्प्रति निलंबित मुख्यालय उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अलावे बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14(VII) के तहत निम्नांकित वृहद शास्ति अधिरोपित की जाती है :–

1. निम्नतर प्रक्रम पर दो वित्तीय वर्ष क्रमशः 2025–26 एवं वित्तीय वर्ष 2026–27 में अवनति दिया जाता है।
2. उक्त अवनति अवधि में दो वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026 – 27 की भावी वार्षिक वेतनवृद्धियाँ को स्थगित रहेंगी।
3. अवनति अवधि समाप्त होने पर श्री राम का वेतनवृद्धि उनके दिनांक 28.02.2027 को सेवानिवृत होने के कारण देय नहीं होगी।

श्री श्यामू राम, निलंबित परियोजना प्रबंधक सह प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कैमूर मुख्यालय उद्योग निदेशालय के विरूद्ध उक्त दंड अधिरोपित करते हुए निलंबन मुक्त किया जाता है तथा विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है। निलंबन अवधि में सेवा विनियमन के संबंध में बाद में निर्णय लिया जायेगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(बृज किशोर चौधरी)
संयुक्त सचिव
उद्योग विभाग, बिहार,
पटना।

ज्ञापांक–3(स०)/उ0स्था0(आरोप)07/22(खंड)....................../ पटना, दिनांक–..........................

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0 में) एवं दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–3(स०)/उ0स्था0(आरोप)07/22(खंड)....................../पटना, दिनांक–..........................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–3(स०)/उ०स्था०(आरोप)07/22(खंड)....................../ पटना, दिनांक–............................

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक– 4675, दिनांक–19.02.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–3(स०)/उ०स्था०(आरोप)07/22(खंड)....................../ पटना, दिनांक–............................

प्रतिलिपिः–उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सभी संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग/सभी उप सचिव, उद्योग विभाग/सभी अवर सचिव, उद्योग विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–3(स०)/उ०स्था०(आरोप)07/22(खंड)....................../ पटना, दिनांक–............................

प्रतिलिपिः–जिलाधिकारी, कैमूर(भभुआ) के पत्रांक–1622 दिनांक 08.11.2022 के प्रसंग में/जिलाधिकारी, शेखपुरा/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कैमूर(भभुआ)/ महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक, कैमूर(भभुआ) के पत्रांक–10427 दिनांक 08.11.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–3(स०)/उ०स्था०(आरोप)07/22(खंड)....................../ पटना, दिनांक–............................

प्रतिलिपिः–श्री श्यामू राम, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कैमूर(भभुआ) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–3(स०)/उ०स्था०(आरोप)07/22(खंड)...1100.../ पटना, दिनांक–...6/3/25...

प्रतिलिपिः–आई.टी. प्रबंधक, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6/3/25
सरकार के संयुक्त सचिव
6/3/25